रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95

REGD. NO. D.L.-33004/95

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3- उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 1995/कार्तिक 3, 1917
No. 422] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 1995/KARTIKA 3, 1917

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1995

सा० का० नि० 694(अ).—केन्द्र सरकार, काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 की उप-धारा (2) के खण्ड (14) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काफी नियम, 1955 में और संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को काफी (संशोधन) नियम, 1995 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. काफी नियम, 1955 में उसके नियम 39 में उप-नियम 4 के बाद निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 38ख और धारा 40 की उप-धारा (2) के तहत बोर्ड की शक्तियां प्राप्त होंगी ।

[फा० सं० 9(1)/94-बागान(ख)]

आर० चन्द्रशेखर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 1995

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with clause (xiv) of Sub-section (2) of Section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the Coffee (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coffee Rules, 1955, in rule 39, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4A) The Chairman shall have the powers of the Board under Section 38B and Sub-section (2) of Section 40 of the Act".

[F. No. 9(1)/94-Plant(B)]
R. CHANDRASHEKHAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 • 1995